उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग

पत्र संख्या–01(XIV)/01/DR(GIC MAINS-2025)/एस–4/2026–27

प्रयागराज, दिनांकः 21 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **प्रवक्ता (पुरूष/महिला) राजकीय इण्टर कालेज मुख्य परीक्षा–2025 दिनांक 30 अगस्त, 2026** को लखनऊ तथा प्रयागराज जनपद में दो सत्रों– **प्रथम सत्र,** पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 बजे तक **कुल–15 विषयों** (समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, जीव विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत एवं प्राध्यापक, जेल प्रशिक्षण विद्यालय के मनोविज्ञान एवं अपराध विज्ञान और दण्ड शास्त्र) के अभ्यर्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र–सामान्य हिन्दी एवं निबंध (परम्परागत) हेतु एवं द्वितीय सत्र अपराह्न 02:30 बजे से 05:30 बजे तक **कुल–13 विषयों** (समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिकशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, जीव विज्ञान, हिन्दी, उर्दू एवं संस्कृत) के अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र–वैकल्पिक विषय(परम्परागत) हेतु तथा **दिनांक 31.08.2026** को जनपद–लखनऊ में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के शिविर कार्यालय, सेक्टर–डी, अलीगंज के परीक्षा हाल भूमितल में दो सत्रों–प्रथम सत्र पूर्वाह्न 09:00 बजे से 12:00 बजे तक मनोविज्ञान (परम्परागत) तथा द्वितीय सत्र अपराह्न 02:30 बजे से 05:30 बजे तक अपराध विज्ञान और दण्ड शास्त्र (परम्परागत) के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जानी है।

2– प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने ओ0टी0आर0 नम्बर के द्वारा प्रवेश–पत्र तथा अनुदेश डाउनलोड कर, प्रवेश–पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर दो फोटो एवं आई0डी0प्रूफ की मूल एवं छायाप्रति अनिवार्य रूप से लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें तथा कक्ष में अन्तरीक्षक को आई0डी0प्रूफ0 की एक छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 01 घण्टा 30 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जाएगा तथा परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 45 मिनट पहले प्रवेश बन्द कर दिया जाएगा।

3–उक्त परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्हें मुख्य परीक्षा में इस शर्त के साथ औपबंधिक रूप से सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक अवश्य पूर्ण कर ली जाए। यदि सन्निरीक्षोंपरान्त यह पाया जायेगा कि उनके द्वारा निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र जमा किये जाने विषयक प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

4– उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–8, सन् 2024) दिनांक 06 अगस्त, 2024 को प्रकाशित किया गया है। उक्त अधिनियम में प्राविधानित है कि ''परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, नकल करना या नकल

राना, प्रश्नपत्र का प्रतिरूपण करना या प्रकट करना या प्रकट करने का षड्यंत्र करना आदि कृत्य नराध की श्रेणी में आते हैं, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय हैं। ऐसे प्रकरणों में एक करोड़ क का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा, दोनों ही हो सकती है।''

(धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी)
उपसचिव।